न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.

अपील संख्या 38/2020

अपीलान्टगण :–

1. पुसाराम पुत्र रामुराम
2. धन्नाराम पुत्र रामुराम
3. भींवाराम पुत्र रामुराम
4. नारायणराम पुत्र रामुराम
5. शिवदानराम पुत्र रामुराम

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा, हाल निवासी ग्राम गुगड़वार तहसील नावां जिला नागौर राज.।

बनाम

रेस्पोडेन्टः–

1. तहसीलदार नावां।
2. पटवारी, पटवार हल्का नगवाड़ा।

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री महावीर प्रसाद गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्टगण।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का नगवाड़ां बनाम पुसाराम वगैरह प्रकरण संख्या 232/2019 न्यायालय तहसीलदार नावां का निर्णय दिनांक 22/07/2020.
अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

दिनांकः–06.04.2021

{1}– यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण संख्या 232/2019 बअनुवान राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का, नगवाड़ा बनाम पुसाराम वगैराह जाति गुर्जर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा में पारित निर्णय दिनांक 22/07/2020 के विरूद्ध पेश की है।

{2} – अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नगवाड़ा ने अपीलान्टगण/ अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम गुगड़वार के खसरा न0 425 रकबा 0.1508 हैक्टयर किस्म गै0मु0 रास्ता पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण कर रखा है जो

कि सरकार की किस्म गै.मु. रास्ता भूमि है जिससे अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावे तथा कानूनी कार्यवाही की जावें। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियों को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण द्वारा मौजा ग्राम गुगड़वार के खसरा नं. 425 रकबा 0.1508 हैक्टयर किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर बाड़ लगाकर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा ग्राम गुगड़वार के खसरा नम्बर 425 रकबा 0.1508 हैक्टयर किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर 0.4147 रूपये का 50 गुणा से जुर्माना राशि 21/–अक्षरे इक्कीस रूपये जुर्माना आरोपित किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 08.09.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 08.09.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/386 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

{3}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है किः

{3}(1)– यह है योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2)–यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधित एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3)– यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय एवं साम्या के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4)- यह है कि तहसीलदार नावां द्वारा पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध एवं राजनेतिक दबाव में आकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है एवं जिस पर

तहसीलदार नावां द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया है अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है।

{3}(5)– यह है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता मौजुद नहीं है व न कभी किसी प्रकार का रास्ता मौके पर पूर्व में मौजुद रहा केवल मात्र अपीलान्टस के खेत में रास्ता खोल देने से उक्त रास्ता चालू नहीं हो सकता अपीलान्टस द्वारा कोई कटाणी रास्ता वर्तमान में बंद किया हुआ नहीं है।

{3}(6)– यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त चुनौतिग्रस्त आदेश पारित बाबत संधारित पत्रावली में अपीलार्थीगण को सूचना बाबत जारी समन नोटिस में तामिल कुनिनदा द्वारा किसी बजरंग गुर्जर नाम के व्यक्ति को दिनांक 07.07.2020 को सूचना नोटिस तामिल करवाये जाने की रिपोर्ट नोटिस के पुस्त भाग पर की गई है एवं सभी नोटिस एक ही बजंरग गुर्जर नाम के व्यक्ति से तामिल करवाये गये है एवं तामिल कुनिनदा ने उपरोक्त बजरंग गुर्जर का अपीलार्थीगण के साथ भाई/ताउ/काका/भतीजा/पिता आदि का संबंध बताते हुये तामिल करवाई है जबकि उपरोक्त बजरंग नाम का व्यक्ति ना तो अपीलार्थीगण का पिता है एव ना ही रिश्ते में काका/ताउ/भतीजा आदि है ऐसी स्थिती में अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करवाई गई तामिल भी परोपर तामिल की श्रेणी में नहीं आनी पाई जाती है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई सूचना नोटिस तामिल कर गौर फरमाये ही आनन फानन में उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किये है जो कि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों व प्राकृतिक न्याय की मंशा के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(7)– यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2020 को परोपर तामिल न होते हुये भी सभी अपीलार्थीगण जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संघारित पत्रावली में पक्षकार संयोजित रहे है की तामिल सूचना नोटिस सुनिश्चित करते हुये आलौच्य आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.07.2020 में अपीलार्थीगण पक्षकारान को जवाब देही का अवसर प्रदान किया गया था एवं अपीलार्थीगण पक्षकार एक व तीन ही उपस्थित रहे थे अन्य सभी पक्षकारान की उपस्थिती न्यायालय द्वारा टंकित नही की गई होते हुये भी उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो कि विधि की मंशा के अनुरूप न होकर पूर्णतया एकतरफा रूप पारित किया गया होना प्रतीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(8)– यह है कि वर्तमान समय में कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारी का दौर होने से अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से दर्ज कर अमल में लाई जा रही अतिक्रमण बेदखली सम्बन्धित कार्यवाही में अपना साक्ष्य सबुत सहित जवाबदेही प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय व अवसर ही प्रदान नहीं किया है एवं अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व भोले भाले व्यक्ति है जो काननी पैचिदगीयों से अनभिज्ञ है एवं

उपरोक्त वैश्विक महामारी कोविड–19 में परोपर साक्ष्य सबुत व राजस्व रेकर्ड को प्राप्त करने का भी उचित अवसर प्रदान नही किया गया जबकि विधि की मंशा है कि न्याय होना ही अपितु न्याय दिखना भी चाहिये के सिद्धान्तों से परे जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(9)– यह है कि उक्त पत्रावली में अप्रार्थीगण को विधितया कोई नोटिस तामिल नहीं करवाया गया व न ही तामिलकर्ता कर्मचारी द्वारा परोपर पक्षकारान को नोटिस तामिल नहीं करवाया गया तथा उक्त पत्रावली में दिनांक 07.07.2020 की आदेशिका इस प्रकार है कि " कि पत्रावली पेश हुई अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया अप्रार्थी सं. 01 व 03 उपस्थित जवाब हेतु समय चाहते है। पत्रावली दिनांक 22.07.2020 को पेश हो जबकि पत्रावली पर मौजुद समस्त पक्षकारान जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं दिनांक 22.07.2020 को जवाब पेश करना चाहा परन्तु पत्रावली पर जवाब नहीं लिया जाकर अपीलान्टस को जवाब का समुचित अवसर नहीं दिया गया निर्णय के दिन अधिवक्ता अपीलान्टस को सुना नही गया तथा अपिलान्टस को भी अनुपस्थित करते हुये उक्त निर्णय पारित कर दिया गया एवं अपिलान्टस को साक्ष्य सफाई व जवाब पेश करने भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया तथा उक्त पत्रावली में पटवारी हल्का नगवाड़ा के भी कोई बयान नहीं लिये गये जो कि न्याय की मंशा के विरूद्ध है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का चुनोतिग्रस्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(10)–यह है कि अपीलान्टस का रास्ता की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही रहा व ना ही है संवत 2042 ग्राम गुगड़वार तहसील नावां की सरहद में स्थित गत खसरा नं. 200 रकबा 72–15 बीघा भूमि जो कि तत्कालीन खातेदारी मोती वल्द चन्दा कौम महाजन के नाम से काब्जि खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। जिसको जरिये विक्रय पत्र हम अपीलान्टस ने तत्कालीन खातेदार का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया था। उपरोक्त भूमि का क्रय के दिन से ही हम अपीलान्टस काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उपरोक्त गत खसरा नं. 200 रकबा 72–15 बीघा भूमि का नवीन भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नं. 407 रकबा 3.91 हैक्टयर व खसरा नं. 428 रकबा 3.45 हैक्टयर खसरा नं. 567/428 रकबा 0.40 हैक्टयर खसरा नं. 568/428 रकबा 3. 65 हैक्टयर कायम कर उक्त भूमि का रकबा 2 बीघा कम कर नवीन खसरा नं. 425 कायम कर गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया गया जबकि उपरोक्त भूमि में पहले कभी रास्ता रहा ही नहीं न ही कभी रास्ता चालू रहा है आज दिन भी मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है।

लेकिन राजस्व कर्मचारी/अधिकारियों की व सेटलमेंट अधिकारियों की किसी भी भूमि के रकबे को परिर्वतित करने व राजस्व रेकर्ड नक्शा लठ्ठा मे किसी भी प्रकार के नवीन

तरमीज/इन्द्राज /सीमांकन करने का कोई अधिकार न होते हुये भी अपनी अधिकारिता से परे जाकर उपरोक्त अपीलार्थीगण की भूमि रास्ता भूमि का इन्द्राज गलत किया एवं उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अपालना करते हुये अपीलार्थीगण को सुनवाई का युक्तियुक्त को अवसर प्रदान किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

{3}(11)– यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 22.07.2020 की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 31.08.2020 को होने से उसी रोज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आलौच्य आदेश से सम्बन्धित पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 02.09.2020 को प्रविष्टी सं. 82 के द्वारा प्रमाणित नकले प्रदान किया जाने से जानकारी व प्रमाणित प्रतियां प्राप्ति दिनांक व निर्णय पारित दिनांक 22.07.2020 के मध्य व्यतीत हुये समय को कंडोन कर अपीलार्थीगण की अपील को अन्दर मियाद समाहित किये जाने योग्य है जिस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है जो अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश को अपास्त फरमाया जावें।

{3}(12)– अधिवक्ता अपीलान्टस ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाये।

{4}- प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.07.2020 को हुआ है। प्रार्थीगण को इस निर्णय की नकल की प्रमाणित प्रतिया दिनांक 02.09.2020 को प्राप्त हुई। प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि अपील में हुई देरी माफी योग्य है जिससे अवधि दिनांक 22.07.2020 से 08.09.2020 तक की समयावधि को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावें। अपीलार्थी को जानकारी का अभाव होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अवधि दिनांक 22.07.2020 से 08.09.2020 तक की समयावधि को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5}– बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन व मनन किया गया। पटवारी हल्का नगवाड़ा जांच रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक नगवाड़ा जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा खसरा नं0 425 रकबा 0.1508 हैक्टयर किस्म गै.मु. रास्ता पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थीगण/अपीलान्टगण को विधिवत नोटिस दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण द्वारा गै0 मु0 रास्ता भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजकीय भूमि होकर किस्म गै. मु. रास्ता भूमि है तथा वर्तमान में भी राजकीय खाते में दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि सम्मत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसें तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अतिक्रमण करने से अपीलान्ट को कोई स्वत्व व अधिकार अर्जित नहीं होते हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार हैं। कब्जा विधि सम्मत होना चाहिए और उसे ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्टगण द्वारा ऐसी कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है। जिससे वादग्रस्त भूमि में अपीलान्टगण का स्वत्व व अधिकार होना माना जा सके। अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्टगण को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोइ हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

:::: आदेश ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.07..2020 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी होकर खुले न्यायालय में सुनया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)